तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.125/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.12.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र उनाजी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव मावा भण्डार, बस स्टेण्ड के पीछे, वेलांगरी, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.2.2023 को फर्म महादेव मावा भण्डार, बस स्टेण्ड के पीछे, वेलांगरी, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र उनाजी देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मावा का नमूना संख्या S-2000 निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर की खाद्य विश्लेषण प्रमाण पत्र संख्या:381F/FSSA/2023 दिनांक 08.8.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी नियत सुनवाई तिथि 15.12.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 09.2.2023 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र उनाजी देवासी की फर्म महादेव मावा भण्डार, बस स्टेण्ड के पीछे, वेलांगरी, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र उनाजी देवासी से फर्म महोदव मावा भण्डार के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मावा लगभग 15 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम मावा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के समक्ष नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए [illegible] पदार्थ मावा के नमूना संख्या S-2000 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो [illegible] जांच रिपोर्ट .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:23:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.125/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

क्रमांकःL.S./229/Act/2023/271 दिनांक 22.2.2023 में असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी द्वारा रेफरल लेब से पुनः जांच कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ मावा के नमूना संख्या S-2000 को जांच हेतु निर्देष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को जांच हेतु भिजवाया गया। प्रकरण में खाद्य पदार्थ मावा का नमूना संख्या S-2000 की निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा प्रेषित खाद्य विश्लेषण प्रमाण पत्र संख्याः381F/FSSA/2023 दिनांक 08.8.2023 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र उनाजी देवासी ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मावा के विक्रय हेतु प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र उनाजी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव मावा भण्डार, बस स्टेण्ड के पीछे, वेलांगरी, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाता है। प्रतिवादी प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र उनाजी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव मावा भण्डार, बस स्टेण्ड के पीछे, वेलांगरी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.2..2024 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:23:58 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001